प्रेषक,

सत्यदेव गुप्ता,

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,

हरदोई।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,

हरदोई।

विषय- वृन्दावन योजना सं० 3 नामक मुहल्ले के सेक्टर -12ए भूखण्ड पर निर्मित एक किता मकान सं० 12ए/10 एस०एफ०एस० (99/200) प्रकार सेमी फिनिश्ड भवन अचल सम्मत्ति क्रय करने के संबंध में सूचना।

महोदय,

विषयांकित के संबंध में निवेदन हे कि प्रार्थी द्वारा वृन्दावन योजना संख्या -3 नामक मुहल्ले के सेक्टर 12-ए भूखण्ड पर निर्मित एक किता मकान संख्या 12-ए/10 एस०एफ०एस० (99/200) प्रकार सेमी फिनिश्ड भवन, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित सेमी फिनिश्ड भवन के स्वामी श्री कन्सूराम पुत्र श्री सीताराम वर्तमान पता 21-ए उद्यान पीलीभीत बाई पास रोड, महसगर बरेली से रूपये 60,00,000/-में क्रय करने का इकरारनामा दिनांक 17-02-2022 को करने के उपरान्त, क्रय करने की अनुमति के बाबत माननीय उच्च न्यायालय को आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) 13 जुलाई 1998 के अनुपालन में दि० 18-02-2022 को प्रस्तुत किया गया था। जिसका केस आई०डी०नं० S0001822022 है।(जिसकी कम्प्यूटरजनित प्रति संलग्न है)

माननीय उच्च न्यायालय से क्रय करने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त विषयांकित सम्पत्ति मेरे द्वारा दिनांक को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 08-4-2022 को क्रय किया गया है, जिसका पंजीकरण वही सं० 1 जिल्द सं० 8333 के पृष्ठ सं० 283 से 302 तक क्रमांक 11987 पर दिनांक 08-04-2022 को उपनिबन्धक सरोजनीगर लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है। (पंजीकरण विलेख की प्रति संलग्न है)

मेरे द्वारा क्रय धनराशि के संबंध में विक्रेता को मु० रूपये 2,00,000/- अपने बचत खाता से चेक संख्या 989336 दिनांकित 17-02-2022 द्वारा विक्रेता को प्रदान किया गया जिसका उल्लेख इकरारनामा में किया गया था। मेरे बचत खाते से एस०बी०आई० द्वारा रूपये 18,00000/- Margin Money for Home Loan 02-04-2022 को Deduct करके व मु० 40,00,000/- ऋण जो एस०बी०आई० स्वीकृत किया गया था के आधार पर क्रय मूल्य की शेष धनराशि 58,00,000/- एस०बी०आई० द्वारा जरिये Demand Draft विक्रेता कन्सूराम को अदा किया गया है। (D.D. की छाया प्रति एनेक्चर संलग्नहै)

28/2/23

विषयांकित सम्पत्ति को क्रय करने हेतु मेरी माता श्रीमती लीलावती द्वारा मुझे रूपये 10,00,000/- देने की सहमति मुझे दी गई थी। सहमति पत्र मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित अनुमति के आवेदन के साथ संलग्न्न किया गया था। मेरी माता जी द्वारा रूपये 3,00,000/- दिनांक 21-03-2022 को व रूपये 3,00,000 /- दिनांक 02-4-2022 को जरिये Neft मेरे बचत खाते में अन्तरित किया गया है।

विक्रय पत्र में कुल रूपये 4,20,000/- का e Stamp अपने बचत खाता से जरिये R.T.G.S. दिनांकित 04-04-2022 अन्तरित कर क्रय किया गया है। (जिसकी छायाप्रति एनेक्चर संलग्न है) तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क रूपये 60,000/- नकद कार्यालय उपनिबन्धक में जमा किया गया है।

इस वर्ष स्थानान्तरण व अन्य व्यस्तता के कारण क्रय करने की सूचना देने में विलम्ब हुआ है, जिसके लिये प्रार्थी क्षमा की याचना करता है विलम्ब को क्षमा करते हुए क्रय करने की सूचना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

विषयांकित सम्पत्ति क्रय किये जाने के संबंध में माननीय महोदय को सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांक 28-02-2023

भवदीय

28/2/2023

(सत्यदेव गुप्ता)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1

हरदोई।

संलग्नक-

1. क्रय करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन Case I.D.no S0001822022 की कम्प्यूटरजनित प्रति।
2. पंजीकृत विलेख की प्रति।
3. डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति
4. ई-स्टाम्प हेतु आर०टी०जी०एस० की छायाप्रति।
5. बचत खाता की पासबुक की छायाप्रति
6. माता श्रीमती लालावती के दानपत्र की प्रति।